तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15.2.2023

अधिवक्ता अपीलाांट उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 02 व 06 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपील के एडमीशन पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट के पिता किशनलाल ने अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 17.2.2012 को आराजी खसरा नंबर 113 रकबा 0.79है. की वसीयत की थी। अपीलांट के बडे भाई भीकम का दिनांक 9.2. 2015 को देहान्त हो गया एवं अपीलांट के पिता किशनलाल का दिनांक 4.10.2022 को देहान्त हो गया। अपीलांट अपने मृतक पिता के कियाकर्म में व्यस्त रहने के कारण रेस्पो. सं. 1 लगा.6 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके दिनांक 12. 11.2022 को अपीलांट के पिता का फौत हो जाना बताकर रेस्पो0 सं0 1 से 9 के हक में नामा0 सं0 381 दिनांक 12.11.2022 अपने हक में खुलवाकर खातेदारी भी प्राप्त कर ली। कानूनन अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपीनलांट उक्त भूमि के खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा अपीलांट ही के नाम ही नामान्तरण की कार्यवाही होनी थी। पटवारी हल्का ने अपीलांट के मृतक पिता किशनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र न लेकर रेस्पो. सं0 2 से 6 के पिता व रेस्पों. सं. 1 के पति भीकम का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर धोखे से रेस्पों. सं. 1 से 9 के नाम खोलकर कानूनी भूल की है। प्रार्थी को अपने मृतक पिता ने रजिस्टर्ड वसीयत की थी, उसके आधार पर अपीलांट उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. सं0 1 से 2 व 6 ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलाधीन विरासत का नामान्तरण दिनांक 12.11.2022 को सिविल न्यायालय महवा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत पटवारी हल्का को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि रेस्पो.सं. 4 द्वारा तहसील कार्यालय मण्डावर में अपने दादा किशनलाल की विरासत का नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का धौलखेडा को मृतक के वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार मण्डावर द्वारा पटवारी हल्का द्वारा निर्देश दिये गये। पटवारी धौलखेडा द्वारा मृतक के वारिसान की जांच कर मृतक की ग्राम पालौदा में स्थित कृषि भूमि का विरासत का नामा. सं0 381 दिनांक 7.11.2022 को दर्ज किया जाकर भू अभिलेख निरीक्षक उकरूंद द्वारा दिनांक 9.11.2022 को जांच की जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की कोई वसीयत पटवारी हल्का को उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा नामान्तरण अपील पेश कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कराकर रजिस्टर्ड वसीयत के [illegible] दर्ज कराना चाहता है। नामान्तरण अपील एक समरी प्रोसीडिंग [illegible] हक अधिकार तय नहीं होते है। अपीलांट को अपने [illegible] सक्षम न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए था। अपीलांट सक्षम [illegible] कर अनु[illegible] करने हेतु स्वतंत्र है। अपीलांट [illegible] अपील एडमीशन [illegible] पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer UL Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
दौसा